

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

इन्टर प्रवेश परीक्षा

संख्या- प्राविषा/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

तकनीक- दिनांक- 09/08/2021

-नवनीत ग्राहक-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्मिकों काटन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैदिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उज्जैन लखनऊ में सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संघीय संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव को विचार करने के लिए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेच्य निर्णय के अनुसरण में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उज्जैन लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन मातृसंस्था एवं उसमें अखिल प्रवेश समिति हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 1301- DEPARTMENT OF PHARMACY L.N.COLLEGE NAGLA POPI DIKHTAULI LABHUA ROAD SHIKOHABAD FIROZABAD

क्रमांक	मातृसंस्था का नाम	एडमिशन ऑफिस/सी.ओ.ओ. द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडमिशन ऑफिस/सी.ओ.ओ. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित शिथिलों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैयार करके इ-सी.ओ. मातृसंस्था हेतु रु. 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मिकों मातृसंस्था हेतु रु. 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय परीक्षकों (दो वर्षीय कार्मिकों मातृसंस्था के अतिरिक्त) हेतु रु. 22000.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्यवेक्षण व्यय के रूप में प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त व्ययों/छपावों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो सी.ओ.ओ. की सर्वोत्तम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (30%) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों (संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2006 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर नियंत्रण शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिशन ऑफिस/सी.ओ.ओ. द्वारा निर्धारित सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

OFFICE

1200 - UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO

DATE: 12-29-2023

OFFICE

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO
DEPARTMENT OF PHARMACY, L.N. COLLEGE



LESTER GARY SHAW

OFFICE